



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236942
CG-DL-E-01072022-236942

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2814]
No. 2814]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ़ 9, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

का.आ. 2957(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पञ्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4677 (अ) तारीख 11/11/2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - II, खण्ड - 3, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 (अब नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52) के कि.मी. 0/000 से कि.मी. 16/400 (महाराष्ट्र सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चैडा करने /चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख “08.01.2022” को “दैनिक लोकमत” (मराठी) और तारीख “09.01.2022 “दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया” (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम अधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप-धारा (1) अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वाक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 211 के 0/000 कि.मी. से 16/400 कि.मी. (महाराष्ट्र सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जानेवाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: सोलापूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: उत्तर सोलापूर				
	गांव का नाम: हिप्परगे				
1	18/1	निजी	शुष्क	0.03	रेवणसिद्ध माणिकराव गडमिरे, विजय बाजीराव लबडे, संभाजी नागनाथ लबडे व इतर (18/1)
	गांव का नाम: शेलगी				
2	51/1	निजी	शुष्क	0.11	सिद्रामप्पा नागप्पा अब्दुलपूरकर, दिलीप कोंडीबा भास्कर, केरबा कोंडीबा भास्कर, उषा अरुण भास्कर, जमुना अरुण भास्कर, सुजाता अरुण भास्कर, सागर अरुण भास्कर, मीरा गणेश खडके (51/1)
	तालुक का नाम: दक्षिण सोलापूर				
	गांव का नाम: कासेगांव				
1	382/1 Pt.	निजी	शुष्क	0.06	गोरख वासुदेव तंडे, कासेगाव विकास संस्था (382/1 पै.)
2	382/2 Pt.	निजी	शुष्क	0.27	रजनीकांत सुरेश ननवरे ए.पी.के. सुरेश मारुती ननावरे, प्रतिभा नेताजी खंडागळे, उळे विकास सोसायटी (382/2 पै.)
3	427/1	निजी	अकृषिक	0.13	मंचुकोडा प्रकाशम आणि व्यवस्थापकीय भागीदार, श्रीमंचुकोडा प्रकाशम, आयएनजी वैश्य बैंक लि., शाखा अमीन पेठ, हैदराबाद

					(427/1)
	गांव का नाम: उळे				
4	18	निजी	शुष्क	0.06	चिदानंद श्रीकांत फुलारी, धनेश मोगलया जावळेकर, प्रांजली प्रमोद हिंगे, गंगाधर चंद्रशेखर पुजारी, त्रिमूर्ती कन्स्ट्रक्शनचे पार्टनर कृष्णा बाबुराव हिरेमठ, ज्ञानदीप को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई सोलापूर शाखा (18)
			कुल	0.66	

[फा. सं. NHAI/LA/11013/Mah/Solapur/2010/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2022

S.O. 2957(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the then Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. No. 4677 (E) dated 11.11.2021 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 211 (Now National Highway No. 52) on the stretch of land from Km. 0/000 to Km. 16/400 (Maharashtra Section) in District Solapur in the State of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daily Lokmat” (Marathi) dated 08.01.2022 and “Times of India” (English) dated 09.01.2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the foresaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 0/000 to Km. 16/400 (Maharashtra Section) on the National Highways No. 211 (Now New NH-52) in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: North Solapur				
	Village: Hipprage				
1	18/1	Private	Dry	0.03	Revansiddha Manikrao Gadmir, Vijay Bajirao Labade, Sambhaji Nagnath Labade & others 18/1
	Village: Shelagi				
2	51/1	Private	Dry	0.11	Sidramappa Nagappa Abdulpurkar, Dilip Kondiba Bhaskar, Kerba Kondiba Bhaskar, Usha Arun Bhaskar, Jamuna Arun Bhaskar, Sujata Arun Bhaskar, Sagar Arun Bhaskar, Mira Ganesh Khadke 51/1
	Taluk: Solapur South				
	Village: Kasegaon				
1	382/1 Pt.	Private	Dry	0.06	Gorakh Vasudev Tande, Kasegaon Development Society 382/1 Pi.
2	382/2 Pt.	Private	Dry	0.27	Rajnikant Suresh Nanavare, A.P.K. Suresh Maruti Nanavare, Pratibha Netaji Khandagale, Ule Vikas Society 382/2 Pi.
3	427/1	Private	Non Agriculture	0.13	Manchukoda Prakasham & Managing Partner, Srimanchukoda Prakasham, ING Vaishya Bank Ltd., Branch Amin Peth, Hyderabad 427/1
	Village: Ule				
4	18	Private	Dry	0.06	Chidananda Shrikant Fulari, Dhanesh Mogalya Javalekar, Pranjali Pramod Hinge, Gangadhar Chandrashekhar Pujari, Krishna Baburao Hiremath, Partner of Trimurti Construction, Gyandeep Co-Op. Credit Society Ltd., Mumbai Solapur Branch 18
			TOTAL	0.66	

[F. No. NHAI/LA/11013/Mah/Solapur/2010/3D]

RAJESH GUPTA, Director